



संख्या : 3238 / जी0एस0(शिक्षा) / A3-67 / 2017

प्रेषक,

स्वाति एस0 भदौरिया,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 26 अप्रैल, 2025

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 230628021047, दिनांक 08.11.2023 सहित विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 587, दिनांक 28.08.2023 एवं पत्र संख्या 857, दिनांक 21.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें हरिदेव कॉलेज ऑफ लॉ, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर को एल0एल0बी0 (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराये गये हैं।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत महाविद्यालय/संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्तावों पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
01	हरिदेव कॉलेज ऑफ लॉ, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर।	एल0एल0बी0 (त्रिवर्षीय)	120 सीट प्रति सत्र	2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय, संस्थान से यू0जी0सी0 विनियम एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्राभूति, शैक्षिक सत्र 2024-25 के अन्त तक बंधक रखवना सुनिश्चित करेगा, यदि विश्वविद्यालय द्वारा इस उपबन्ध का अनुपालन किये बिना शैक्षिक सत्र 2024-25 से अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में शैक्षिक सत्र 2024-25 से अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

- अग्रेतर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीया,

Digitally signed by
Swati Srivastava Bhadauria (स्वाति एस0 भदौरिया)
Date: 25-04-2025 17:43:19
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या : 3238 (1) / जी0एस0(शिक्षा) / A3-67/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य- सम्बन्धित महाविद्यालय।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya (लक्ष्मण राम आर्य)
Date: 26-04-2025
12:33:27
कुलाधिपति के अनुसचिव।